न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 10/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.दलाराम पुत्र उदाराम, 2.प्रतापाराम पुत्र उदाराम जातियान् माली,निवासगण –जालोर, तहसील व जिला जालोर		1.पुनमाराम पुत्र उदाराम 2.रतनाराम पुत्र उदाराम जातियान् माली, निवासीगण जालोर 3.राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 30.6.2016(बंटवाडा कमांक507)

उपस्थिति :–
1.श्री गोपेशकुमार ,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.1से 2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 12.7.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट सं.1 से 2 की संयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि जालोर–बी में खसरा नम्बर 5052 रकबा0.10 हेक्टर गैर मुमकिन ढाणी,खसरा नम्बर 5053 रकबा0.01 हेक्टर गैर मुमकिन सडा,खसरा नम्बर 5055 रकबा 0.04 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता,खसरा नम्बर 5056रकबा 2.07 हेक्टर चाही सोयम , खसरा नम्बर 5057 रकबा 0.35 हेक्टर रकबा 0.35 हेक्टर चाही सोयम, खसरा नम्बर 5061 रकबा 0.37हेक्टर चाही सोयम कुल खसरा नम्बर 7 रकबा 3.07 हेक्टर की आई हुई है।उपरोक्त आराजी का सहखातेदारान् के बीच राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 में बंटवाडा किया गया वो गलत है।अपीलांट अनपढ है जिनके पटवारी व रेस्पोडेन्ट ने कागजों पर अंगूठे हस्ताक्षर करवाये थे जबकि पक्षकारान् को सही स्थिति का ज्ञान नही करवाया गया ,न ही मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं , न ही प्रस्तावित बंटवाडे का मौके पर भौतिक कब्जे का सत्यापन करवाया है ,सारी कार्यवाही केम्प में ही की गई है तथा रेवेन्यू रैकार्ड के आधार पर जो बंटवाडा किया गया है वो गलत है।अपीलांट्स के बंट में जो जमीन दर्शायी गई है वो उबडखाबड है जबकि रेस्पोडेन्ट जमीन सही व समतल है।राजस्व

अभियान दिनांक 30.6.2016 में उक्त बंटवाडा किया, रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने अपीलांट को कहा कि बंटवाडा आदेश व तरमीम के अनुसार अपने अपने जमीन पर काबिज हो, तब अपीलांट को जानकारी हुई तथा अपीलांट ने दिनांक 16.12.2016को पटवारी हल्का नकले ली, तहसीलदार के आदेश व बंटवाडा नक्शे की नकल दिनांक 20.12.16 को लेकर अपील दि. 23.12.16 को पेश की है। ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आपसी सहमति व बंटवाडा आदेश दिनांक 30.6.16 (क्रमांक507) व उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 507दिनांक 30.6.16 निरस्त करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश क्रमांक /राजस्व/2016/507, दिनांक 30.6.2016 आदि की नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट्स की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि आपसी सहमति से बंटवाडा में अपीलांट्स के अंगुष्ठ/हस्ताक्षर हैं अतःअपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है तथा एक बाहर खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा करा दिया है तो उन्हें पुनःऐतराज करने का कोई अधिकार नही है। अतःअपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। जहां अपील में देरी से पेश हुई हो उसमें धारा 5 म्याद अधिनियम की दरख्वास्त का निर्णय पहले किया जाना आवश्यक है। हस्तगत अपील देरी से पेश की गई है। अतः म्याद के बिन्दु को पहले निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अपीलांट सं.1.दलाराम पुत्र उदाराम व अपीलांट सं.2–प्रतापाराम पुत्र उदाराम का आपसी सहमति के बंटवाडा दिनांक 30.6.2016 में क्रमशः अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर अंकित है, उक्त बंटवाडा आदेश के विरूद्ध अपील 30 दिन में यानि दिनांक 30.7.2016 तक पेश करनी चाहिये थी लेकिन अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार जालोर के

बंटवाडा आदेश दिनांक 30.6.2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 23.12.16 को इस न्यायालय में पेश की गई है जो करीब 5 माह 23 दिन बाद पेश की गई है जिसका दिन प्रतिदिन का कोई कारण नही बताया है। यह प्रमाणित हैं कि अपीलांट्स ने अपील अन्दर म्याद पेश नही की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रकरण मैरिट पर विवेचन किये जाने की आवश्यकता नही है।

आदेश

अपील अपीलांट्स म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d/ 12/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 12.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d/ 12/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:03:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: